न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर

राजस्व वाद संख्या 29/2018

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री शिवकरण सिंह
2. श्रीमती मोहनी देवी पत्नि श्री दयालचन्द

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बीड हाथोज तहसील व जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. मुकेश पुत्र श्री लल्लू राम
2. सुनील पुत्र श्री लल्लूराम
3. उमराव पुत्र श्री लल्लूराम
4. फूली देवी पत्नी बाबूलाल यादव
5. गीता देवी पत्नी भंवर लाल
6. मीरा देवी पत्नी सुरेश चन्द्र
7. कमला देवी पत्नी राजेन्द्र

समस्त जाति यादव निवासी ग्राम बीड़ हाथोज तहसील व जिला जयपुर।

8. विजया बैंक शाखा हाथोज तहसील व जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर तहसील जयपुर जिला जयपुर
10. उप पंजीयक जयपुर तृतीय झोटवाड़ा पंचायत समिति तहसील व जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः–16/01/2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रानुसार पेश वाद राजस्व ग्राम बीड हाथोज पटवार क्षेत्र हाथोज भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयपुर पश्चिम तहसील जयपुर में कृषि भूमि खाता संख्या नया 14 पुराना 15 के खसरा नं 74 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा ख0 नं 206 रकबा 10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने वाद अधीन भूमि का मौके पर भौतिक विभाजन कर रखा है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं।

Signature Not Verified

यह है कि वादीगण की ओर से इस न्यायालय में [illegible] वादपत्र में दिनांक 16.05.18 को राज्य सरकार द्वारा आयोजित [illegible] 2018/ कैम्प कोर्ट हाथोज पर पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त आराजीयात् का विभाजन की प्रक्रिया अन्तर्गत प्राथमिक[illegible]

Digitally signed by Yudantar
Date: 2021.01.05 16:22:30 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

की गयी तथा पक्षकारों के मध्य विभाजन हेतु कुर्रेजात प्रस्ताव मय नक्शा–ट्रेस चाहे जाने तहसीलदार जयपुर को पत्रांक कोर्ट/2018/5183 दिनांक 31.05.18 को पत्र लिखा गया।तहसीलदार जयपुर द्वारा पालना में पत्रांक भू0अ0/कोर्ट/2018/5044 दिनांक 07.09.18 के संलग्नक विभाजन मय नक्शा ट्रेस पेश किये गये।

न्यायालय द्वारा वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई अधिवक्ता द्वारा वाद निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र कुर्रेजात प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस का अवलोकन तथा बहस पर मनन उपरान्त हम इस निर्णय पर पहुचे है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र में अंकित तथ्यों में सत्यता प्रतित होती है। वादीगण, वादग्रस्त आराजी का पक्षकारों केमध्य उनके हिस्से अनुसार विभाजन चाहते है। अवलोकन किया गया। तहसीलदार जयपुर द्वारा प्रेषित कुर्रेजात प्रस्तावों के अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाना स्वीकार्य है। विभाजन निम्नानुसार किया जाता है–

क्र सं	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नं	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1	14	ओमप्रकाश पुत्र शिव करण सिंह जाति जाट श्यामपुरा हि02/3 मोहनी देवी पत्नि दयाचन्द हि0 1/3 जाति जाट	74/1 206/1	2.19 2.00	बारानी 2 बारानी 2	4.70
		योग	2	4.19	बारानी 2	4.70
2	14	मुकेश, सुनिल, उमराव पि0 लल्लूराम हि0 1/2 ब0 हि0 ब0 फूली देवी पत्नि बाबूलाल यादव गीता देवी पत्नि भंवर लाल मीरा देवी पत्नि सुरेश चन्द यादव कमला पत्नि राजेन्द्र यादव हि0 1/2 ब0ह0ब0 जाति अहीर रहिन विजया बैंक शाखा हाथोज मुर्तहीन	74 206	11.18 08.00	बारानी 2 बारानी 2	18.91
		योग	2	19.18	बारानी 2	18.91

उपर्युक्त अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है तथा अलग–अलग खाते कायम किये जावे तथा लगान का निर्धारण भी किया जावें।

आज दिनांक 16.01.19 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 16:22:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर

Scanned by CamScanner

अंतिम–डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत .... उपखण्ड अधिकारी प्रथम, जयपुर .... मुकाम .... जयपुर........................

व अलजास ....हर्षित वर्मा RAS...

......................................ओमप्रकाश.. बनाम.............................मुकेश...............................

दावा बाबत् – अन्तर्गत धारा 53, 188 विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा...............

मुकद्दमा नं. ....29................ सन् ....2018...................

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू .... व हाजरी .... मिनजामिन मुद्दई रूबरू .... मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ग्राम बीड़ हाथोज,पटवार क्षेत्र हाथोज भू0अ0नि0क्षेत्र जयपुर पश्चिम तहसील जयपुर में स्थित कृषिभूमि खाता संख्या नया 14 पुराना 15 के खसरा नं 74 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा, ख0 नं0 206 रकबा 10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा में तहसीलदार जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात (कोर्ट / 2018 / 5183 दिनांक 31.05.18) अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन निम्नानुसार किया जाता है। (शेष पृष्ट 2 पर) निज.......... ....मबलिक...बावत् .... खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद वगैरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियत तक .... को अदा करें।

वसूलियाव तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.01 सन् 2019 को जारी किया गया।

दस्तखत ....

उप खण्ड अधिकारी

ओहदा ....जयपुर..........

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	2	00			
स्टाम्प वजह सबूत					
महन्ताना वकील					
खर्चा गवाहान			गवाह		
फीस कमिश्नर	--		फीस	--	
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् ... हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफ		
मीजान	4	00	मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 16:22:30 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर

वाद संख्या:— 29/2018

क्र सं	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नं	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1	14	ओमप्रकाश पुत्र शिव करण सिंह जाति जाट श्यामपुरा हि02/3 मोहनी देवी पत्नि दयाचन्द हि0 1/3 जाति जाट	74/1 206/1	2.19 2.00	बारानी 2 बारानी 2	4.70
		योग	2	4.19	बारानी 2	4.70
2	14	मुकेश, सुनिल, उमराव पि0 लल्लूराम हि0 1/2 व0 हि0 व0 फूली देवी पत्नि बाबूलाल यादव गीता देवी पत्नि भंवर लाल मीरा देवी पत्नि सुरेश चन्द यादव कमला पत्नि राजेन्द्र यादव हि0 1/2 व0ह0व0 जाति अहीर राहिन विजया बैंक शाखा हाथोज मुर्तहीन	74 206	11.18 08.00	बारानी 2 बारानी 2	18.91
		योग	2	19.18	बारानी 2	18.91

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 16:22:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner